छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–73/2011/20–3 नया रायपुर, दिनांक 23/11/2016

प्रति,

1. संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छ.ग.

2. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

3. मिशन संचालक,
राजीव गांधी शिक्षा मिशन,
पेंशनबाड़ा, रायपुर, छ.ग.

4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

5. समस्त सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
छत्तीसगढ़

विषय :— शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निजी स्कूलों में कक्षा पहली में 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण एवं अन्य निर्देश बाबत्।

संदर्भ :— विभाग का पत्र क्रमांक एफ 13–47/20/2010/दो दिनांक 12.04.10 एवं क्रमांक एफ/13–47/20/2011/दो/DPI/1093, दिनांक 03.06.2011, क्रमांक एफ 13–47/2010/20–03, दिनांक 02.08.2013 तथा क्रमांक एफ–13/ 20–तीन/2011 दिनांक 08.04.2015

—00—

उपरोक्त विषय में विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2010–11 तत्पश्चात् पश्चावर्ती वर्षों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के क्रियान्वयन हेतु निर्देश प्रसारित किये गये। राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा WP (PIL) No. 22/2016 में की गई अनुशंसाओं के पालन में उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा जारी किए गए निर्देश को निष्प्रभावी घोषित करती है तथा राज्य शासन एतद द्वारा सत्र 2017–18 से आगामी तिथि पर्यन्त अधिनियम की धारा 12 के क्रियान्वयन हेतु, निम्नानुसार स्थाई निर्देश जारी करता है :—

1. अधिनियम के प्रावधान :—

1.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में यह प्रावधान है, कि प्रत्येक गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला के द्वारा अपने विद्यालय मे कक्षा पहली में बसाहट सीमा (neighbourhood limit) के "अलाभित समूह" {अधिनियम की धारा 2(घ)} तथा "दुर्बल वर्ग" {अधिनियम की धारा 2(ड.)} के बालकों को कक्षा

Principal
DAV Mukhyamantria Public School
Parsadaved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

Manager
DAV Mukhyamantri Public School
Parsada-Ved, Masturi, Bilaspur (C.G.

(5)

पहली के कुल बालकों की संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत संख्या में प्रवेश दिया जावेगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक अशासकीय विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर कक्षा पहली में उपलब्ध कुल सीट संख्या का 25 प्रतिशत सीट "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" के बालकों के लिए शालावार आरक्षित रखा जावेगा तथा प्रतिवर्ष कक्षा पहली में कुल सीट संख्या का 25 प्रतिशत सीट आसपास के "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" के बालकों से भरा जावेगा।

1.2 अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार आरक्षण का लाभ केवल "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" के लोगों को दिया जाना है। "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" को शासन के द्वारा पृथक से अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट–1 में संलग्न है। इस तरह अधिनियम की धारा 12 के तहत अशासकीय विद्यालय की कक्षा जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, किन्तु जिसमें कक्षा 1 के बाद की कक्षाएं सम्मिलित नही है, इसे प्रवेश बिन्दु कक्षा मान्य कर विद्यालय में प्रवेश की कार्यवाही आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध पात्रताधारी बच्चों को प्रवेश दिलाने हेतु कार्यवाही शालावार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. नोडल अधिकारी :–

2.1 अधिनियम के प्रावधानों के तहत् अशासकीय विद्यालयों को मान्यता देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर पात्र बच्चों को चयन एवं प्रवेश देने संबंधी कार्यों का सम्पादन अपने कार्य क्षेत्र के भीतर करने हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है एवं वे इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी रहेंगे एवं उनके कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए विद्यालयवार छात्रों के अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के प्राचार्य, सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

2.2 सहायक नोडल अधिकारी प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल स्तर का होना आवश्यक है। यदि अशासकीय विद्यालय के निकट शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल न हो, तो प्रधान पाठक, मिडिल स्तर को अधिकृत किया जावे।

3. क्षेत्र का निर्धारण :–

बसाहट सीमा से आशय प्राथमिक शाला के संदर्भ में बसाहट के 1 किलोमीटर के भीतर स्थित विद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक शाला के संदर्भ में 3 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित विद्यालय से होगा। क्षेत्र विशेष में ऐसा

Principal
DAV Mukhyamantria Public School
Parsadaved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

Manager
DAV Mukhyamantri Public School
Parsada-Ved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

(4)

हो सकता है कि 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के भीतर एक से अधिक अशासकीय, शासकीय या दोनों तरह के विद्यालय हों। यह भी संभव है कि किसी अशासकीय विद्यालय के 1 किलोमीटर के भीतर भौगोलिक रूप से कोई बसाहट न हो। ऐसी स्थिति में ऐसे अशासकीय विद्यालय को उपयुक्त बसाहट सीमा में क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा। वर्ष 2016–17 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों द्वारा कुल विज्ञापित की गयी सीटों तथा भरे गये सीटों की जानकारी का अध्ययन कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार वर्ष 2017–18 हेतु क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि अशासकीय विद्यालयों की अधिक से अधिक सीटें भरी जा सके।

4. मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना :–

4.1 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अकादमिक वर्ष 2017–18 हेतु अशासकीय शालाओं की मान्यता के संबंध में संपन्न कार्यवाही दिनांक 31.12.2016 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाए। साथ ही अशासकीय विद्यालयों से प्रत्येक प्रवेश बिन्दु (पहली कक्षा अथवा स्कूल पूर्व शिक्षा की स्थिति में संबंधित कक्षा) पर अकादमिक सत्र 2017–18 में नवीन प्रवेश हेतु प्रस्तावित कुल सीटों की जानकारी भी प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों द्वारा अकादमिक सत्र 2017–18 हेतु प्रस्तावित शिक्षण एवं अन्य शुल्क की जानकारी भी प्राप्त की जाए। किसी भी दशा में कोई भी ऐसा विद्यालय, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित मापदंडों की पूर्ति नहीं करता, में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश की कार्यवाही नहीं की जाए। ऐसे विद्यालयों के विरूद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सम्यक कार्यवाही की जाए।

4.2 कोई भी विद्यालय, प्रवेश बिन्दु कक्षा पर उपलब्ध सीटं जिसमें खुला प्रवेश दिया गया हो, की जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहती हो, तो वह दंडित किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।

5. आरक्षित सीटों का निर्धारण :–

विद्यालयवार आरक्षण की गणना प्रवेश बिन्दु की प्रत्येक कक्षा में विद्यालय द्वारा नवीन प्रवेश हेतु प्रस्तावित सीटों की कुल संख्या के आधार पर किया जायेगा और जहां कोई विद्यालय, पूर्व विद्यालयीन शिक्षा प्रदान करती है, वहाँ उक्त प्रावधान, ऐसे पूर्व विद्यालयीन शिक्षा के लिए प्रवेश हेतु भी लागू होंगे तथा आरक्षित सीटों के निर्धारण हेतु कक्षा पहली में नवीन प्रस्तावित सीटों की संख्या तथा पूर्व विद्यालयीन शिक्षा में नवीन प्रवेश हेतु प्रस्तावित सीटों की

Principal
DAV Mukhyamantria Public School
Parsadaved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

Manager
DAV Mukhyamantri Public School
Parsada-Ved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

संख्या, दोनों पर पृथक-पृथक किया जाएगा। <u>उदाहरणस्वरूप</u>- यदि किसी विद्यालय में स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है तथा विद्यालय की पहली कक्षा में कुल 100 बच्चों को प्रवेश दिया जाना है, जिनमें से 60 बच्चे स्कूल पूर्व शिक्षा से अग्रेषित होकर पहली कक्षा में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में पहली कक्षा में नवीन प्रवेश हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या 40 (100–60) निर्धारित किया जाएगा तथा नवीन प्रवेश हेतु स्कूल पूर्व शिक्षा की पहली कक्षा में सीटों की संख्या 60 निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार पहली कक्षा में 10 सीट (40 का 25 प्रतिशत) तथा स्कूल पूर्व कक्षा में 15 सीट (60 का 25 प्रतिशत) अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश हेतु आरक्षित की जाएगी।

6. प्रवेश हेतु सूचना व आवेदन प्राप्त करना :–

6.1 जिला शिक्षा अधिकारी अशासकीय विद्यालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रवेश हेतु सूचना दिनांक 15 जनवरी तक जारी करेंगे तथा 31 जनवरी तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।

6.2 जो पालक अपने बच्चों का किसी अशासकीय विद्यालय में कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक की कक्षाओं में आरक्षित 25 प्रतिशत सीट के विरूद्ध प्रवेश कराना चाहते हैं, उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर ही सहायक नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ पालक को "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" का होने संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि बसाहट सीमा क्षेत्र में एक से अधिक अशासकीय शालाएं हों, तो आवेदन पत्र में शालाओं के नाम प्राथमिकता के घटते हुए कम में विकल्प के तौर पर अंकित किये जाएंगे। आवेदन पत्र का <u>निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–2 में संलग्न है।</u>

6.3 प्राप्त आवेदन पत्रों को सहायक नोडल अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा पंजीयन कमांक आवेदन पत्र व पावती में अंकित कर, आवेदन की पावती प्रदान की जाएगी।

6.4 किसी भी बसाहट सीमा क्षेत्र की शाला में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के विरूद्ध बच्चों के चयन एवं प्रवेश दिलाने के लिए उस क्षेत्र के सहायक नोडल अधिकारी के पदनाम एवं बैठने के स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। उपरोक्त जानकारी का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे, इसकी सूचना अशासकीय शाला प्रबंधन, विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा आसपास के बसाहट, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय सहित सर्वसंबंधितों को दी जावेगी, ताकि लोगों को यह ज्ञात हो सके, कि उन्हें बसाहट सीमा में शालावार प्रवेश के लिए किस अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है।

Principal
DAV Mukhyamantri Public School
Parsadaved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

Manager
DAV Mukhyamantri Public School
Parsada-Ved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

(4)

7. आवेदन पत्रों की समीक्षा :–

प्राप्त आवेदन पत्रों को सहायक नोडल अधिकारी द्वारा सूचीबद्ध किया जावेगा तथा इस बात का परीक्षण किया जावेगा कि आवेदक परिवार "अलाभित समूह" या "दुर्बल वर्ग" की श्रेणी में आते हैं, या नही। यदि आवेदक परिवार उक्त श्रेणी में नही आते हैं, तो उनका आवेदन अमान्य कर उन्हें सूचित किया जावेगा।

8. प्रचार–प्रसार :–

जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 के प्रावधानों का क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार प्रतिवर्ष किया जावे। इस हेतु कार्यशाला, जिला स्तरीय, विकासखंड स्तरीय तथा संकुल स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जावे। दीवार लेखन, कला जत्था आदि की गतिविधियों भी की जावे।

9. आबंटन प्रक्रिया :–

9.1 बसाहट सीमा में स्थित विद्यालयों में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों के आधार पर संबंधित आवेदक पालकों की बैठक आयोजित कर प्रवेश हेतु कार्यवाही की जावेगी।

9.2 प्रवेश हेतु चयन के प्रथम चक्र में सभी आवेदकों के आवेदन पत्रों में उल्लेखित प्राथमिकता कम के प्रथम विद्यालय हेतु चयन पर विचार किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में प्रवेश हेतु नियत सीटों की संख्या से कम संख्या में प्रथम विकल्प के तौर पर आवेदन प्राप्त हुए हों, तो ऐसे आवेदनकर्ताओं को ऐसे विद्यालय में प्रवेश हेतु चयनित कर लिया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में उपलब्ध सीटों की तुलना में प्रथम विकल्प के तौर पर प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो, तो लॉटरी निकालकर ऐसे विद्यालय हेतु चयन की कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार प्रथम विकल्प के आधार पर चयन उपरांत शेष आवेदनकर्ताओं हेतु उनके आवेदन पत्र में उल्लेखित द्वितीय प्राथमिकता कम वाले विद्यालय हेतु चयन की कार्यवाही द्वितीय चक्र में की जाएगी।

9.3 प्रथम चक्र के समान प्रक्रिया अपनाते हुए द्वितीय चक्र में प्राथमिकता कम के द्वितीय विकल्प के आधार पर कार्यवाही की जाएगी एवं इसी प्रकार चयन उपरांत शेष अभ्यर्थियों के लिए तीसरे चक्र में तृतीय प्राथमिकता विकल्प के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। यह प्रकिया तब तक की जाएगी, जब तक या तो समस्त उपलब्ध सीटें न भर जाए, या समस्त आवेदनकर्ताओं के चयन की कार्यवाही संपन्न न हो जाए।

9.4 चयन की कार्यवाही पूर्णतया आवेदकों द्वारा दिये गये प्राथमिकता कम के आधार पर कंडिका 9.2 एवं 9.3 में निर्धारित की गयी प्रकिया के अनुसार

Principal
DAV Mukhyamantria Public School
Parsadaved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

Manager
DAV Mukhyamantri Public School
Parsada-Ved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

पारदर्शी रूप से ही संपन्न की जाएगी। यह समग्र कार्यवाही 28 फरवरी तक पूर्ण कर शालावार सूची जारी की जावे।

9.5 यदि किसी बच्चे का चयन, आरक्षित सीटों के विरुद्ध प्रवेश हेतु किया जाता है और वह, चाहे जो भी कारण हो, प्रवेश लेने से इंकार करता है या 15 मार्च तक प्रवेश नहीं लेता है, तो यह मानते हुए कि उसको इसकी आवश्यकता नहीं है, आबंटन निरस्त कर दिया जाएगा व निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आरक्षण अंतर्गत प्रवेश हेतु आगे विचार नही किया जाएगा।

10. रिक्त सीटों का अनारक्षण :–

अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (दो) एवं (चार) में यथा विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, आरक्षित सीटों के विरुद्ध स्वयं सीधे प्रवेश नहीं दे सकेगी। यह और भी कि प्रवेश की अंतिम तिथि अर्थात् 15 मार्च के पश्चात, यदि अशासकीय (निजी) विद्यालयों में आरक्षित सीटों के विरुद्ध सीटें रिक्त रह जाती हों, तो 20 मार्च तक सीटों के अनारक्षण संबंधी आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

11. शुल्क की प्रतिपूर्ति :–

11.1 प्रवेश बिन्दु कक्षा पर प्रवेश हेतु निर्धारित संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों पर बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश कराने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि विद्यालय द्वारा नवीन प्रवेश हेतु प्रस्तावित सीटों की तुलना में कम विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में विद्यालय को केवल वास्तविक प्रवेशित संख्या के आधार पर उतने ही छात्रों के अनुपातिक शुल्क की प्रतिपूर्ति की पात्रता होंगी और उनका स्थायी दायित्व होगा कि वे आरक्षित प्रतिशत से अधिक प्रवेशित बच्चों को, उनके प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराते रहें।

11.2 अधिनियम की धारा 12(2) के प्रावधानों के अनुसार 25 प्रतिशत आरक्षित सीट के विरूद्ध प्रवेशित बच्चों के शिक्षण व्यय का भुगतान राज्य शासन द्वारा किये जाने का प्रावधान है। प्रति छात्र शिक्षण व्यय का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जावेगा। अतः जिला शिक्षा अधिकारी शालावार बच्चों की जानकारी शासन को भेजते समय संबंधित शाला द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार कुल प्रवेशित छात्रों के लिए वास्तविक मांग राशि की जानकारी भी भेजेंगे। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा प्रति छात्र व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा निर्धारित दर या शाला द्वारा निर्धारित दर, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जावेगी।

Principal
DAV Mukhyamantria Public School
Parsadaved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

Manager
DAV Mukhyamantri Public School
Parsada-Ved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

अतः अशासकीय विद्यालयों की शुल्क के आधार पर वास्तविक मांग राशि की जानकारी भी अनिवार्य रूप से भेजने की व्यवस्था करेंगे।

12. प्रक्रिया हेतु समय सारणी :–

क्रमांक	प्रक्रिया बिंदु		समयावधि
1.	मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना	–	31 दिसंबर तक
2.	सीटों की संख्या व फीस की जानकारी प्राप्त करना व प्रवेश हेतु सूचना जारी करना	–	15 जनवरी तक
3.	आवेदन हेतु अंतिम तिथि	–	31 जनवरी तक
4.	आवेदनों की जॉच, पात्रता का निर्धारण व सीटों का आबंटन	–	28 फरवरी तक
5.	प्रवेश हेतु अंतिम तिथि	–	15 मार्च तक
6.	रिक्त सीटों को (यदि कोई हो) अनारक्षित करना	–	20 मार्च तक

यह आदेश स्थायी स्वरूप का है एवं आगामी समस्त सत्रों के लिए प्रभावशील रहेगा। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

23/11/16
(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/12439/शि.के.अधि./प्रवेश/2014–15

बिलासपुर दिनांक 13/12/16

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित
2. संचालक, लोक षिक्षण संचालनालय छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित
3. कलेक्टर, बिलासपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ...., जिला बिलासपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
6. प्राचार्य सह सहायक नोडल अधिकारी शास.उ.मा.शाला/हाई. .... जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

Principal
DAV Mukhyamantria Public School
Parsadaved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

Manager
DAV Mukhyamantri Public School
Parsada-Ved, Masturi, Bilaspur (C.G.)

ज़िला शिक्षा अधिकारी